कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पंत्राक|58/विकास कार्य/नि0सू0/2026–27 दिनांक 28/10/2026

ई–निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्मो/ठेकेदारो से विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यो को करने हेतु ई–निविदा दिनांक 12.11.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16.11.2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तो के अनुसार अन्य अभिलेखो के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 13.11.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्ते बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेष संख्या 1197/II (2)/07–75(सामान्य)/II दिनांक 24–2–2014 एवं अन्य के अनुसार होगी । जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

क्र0	कार्य का नाम	अनु0 लागात (लाख)	धरोहर राशि (लाख रू0)	टेन्डर शुल्क	समय (माहो में)
1	डोईवाला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत, ग्राम पंचायत बडकोट, मॉफी, मारखम ग्रान्ट बुल्लावाला, वार्ड नं0 97 हर्रावाला में 100 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कार्य।	21.18	63600.00	2360.00	03
2	विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत 05 सोलर हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कार्य।	33.11	**75000.00**	**2950.00**	03
3	डोईवाला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत कुडियाल में 09 सोलर हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कार्य।	59.59	119200.00	4720.00	04
4	डोईवाला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 96 में 04 सोलर हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कार्य।	26.49	75000.00	2360.00	03
5	न्याय पंचायत भगवन्तपुर के अर्न्तगत (ब्लॉक सहसपुर) में 100 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य।	21.18	**63600.00**	**2360.00**	**02**
6	धर्मपुर विधान सभा के अर्न्तगत मेंहूँवाला में 02 सोलर हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कर्य	12.71	38200.00	1770.00	02
7	धर्मपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कैलाशपुर, तुन्तोवाला, हरभजवाला, हरबंसवाला, महूवाला माफि आदि क्षेत्रो में 25 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कार्य।	5.30	15900.00	1180.00	01
8	वार्ड 89, हरभजवाला के अन्तर्गत 20 सोलर लाईट लगाए जाने का कार्य।	4.23	12700.00	590.00	01
9	ग्राम पंचायत भगवान पुर में 48 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कार्य।	10.16	30500.00	1770.00	02
10	रायपुर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम सभा बडासी, सौडा सरोली, ग्रांम पंचायत कोटिमयचक, पॉववाला सौडा एवं भोपाल पानी में 120 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाए जाने का कार्य।	25.41	**75000.00**	2360.00	03
11	धर्मपुर विधान सभा के विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत 40 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य।	8.47	25500.00	1180.00	02
12	डोईवाला विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत बडोवाला में 14 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं 01 सोलर हाईमास्ट लाईट लगाए जाने का कार्य।	9.48	28500.00	1180.00	02

अन्य नियम एवं शर्ते

1. जिन ठेकेदारों/फर्मो को पूर्व से प्राधिकरण कें किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेगें। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यो में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नही किया जायेगा।
4. uktenders.gov.in ,एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यो में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।
5. **निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–**

- निविदा वैधता के सम्बन्ध मे, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवांटित कार्यो/निर्माणाधीन कार्यो अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवांटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा।

6. उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना कार्य की प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमो के अनुसार होगी।
10. शासनसदेश संख्या–306433/2025 XXVII(9)/02/ अधिप्राप्ति/20204 ई0प्रत्रा0 संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

प्रतिलिपिः–

1–सचिव,/वित्त नियन्त्रक/मुख्य अभियनता म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
2–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।
3–नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
4–आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।